

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं010(1)चिस्वा / 2 / 19 / डी-173

जयपुर,दिनांक:

08 MAY 2019

आदेश

डॉ० देवेन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी, तत्कालीन राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिडावा, झुन्झुनू के परीवीक्षाकाल में स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि 19.01.18 से पूर्व की समस्त सेवाओं को जब्त करते हुए उनके विरुद्ध सीसीए-17 में की जा रही प्रस्तावित कार्यवाही को निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


आज्ञा से,



(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
- 4- डॉ० देवेन्द्र सिंह, चि०अ०, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिडावा, झुन्झुनू।
- 5- रक्षित पत्रावली।



(ओ०पी० वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0जयपुर।

क्रमांक: सीबी/सीएस/डी-173/2019/323

दिनांक: 16/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर (अजमेर)
4. डॉ. देवेन्द्र सिंह, चि0अ0 सामु0स्वा0केन्द्र, चिडावा (झुन्झुनू) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय को प०स०डी-173/2019/323
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
7. रक्षित पत्रावली।

अति0 चिदेशिक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर